कार्यालय– जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा।
अति अल्पकालीन निविदा वर्ष 2021–22

एतद् द्वारा Formulated and Extruded Mash (Spawn) Feed के निर्माता अथवा अधिकृत बिक्रेता को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में जामताड़ा जिला के निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को Formulated and Extruded Mash (Spawn) Feed देने के लिए उसके क्रय करने हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न 1.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किये जायेगें।

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदा के साथ Formulated and Extruded Mash (Spawn) Feed तथा Formulated and Extruded Fish Feed की भौतिक तथा रसायनिक संरचना, यथा साइज, प्रोटीन की मात्रा (% में) फाईबर की मात्रा (% में) विटामिन का प्रकार, मिनरल मिक्सचर का प्रकार, नमी की मात्रा (% में) आहार संपरिर्वतन दर (FCR). शेल्फ –लाईफ आदि का विवरण देना होगा। उसमें प्रोटीन न्यूनतम–28–30 प्रतिशत तथा वसा–4 प्रतिशत होनी चाहिए। आहार संपरिवर्तन दर (FCR). Low एवं शेल्फ–लाईफ अधिक होना चाहिए।
2. इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/ अधिकृत बिक्रेता को पैन कार्य की छायाप्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ समाग्री का सील बन्द नमूना (कम से कम 50 ग्राम का पैकेट पॉलिथिन बैग में) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही समाग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत केमिकल एनालिसिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक का आयकर रिर्टन देना अनिवार्य होगा।
5. वर्ष 2020–21 का (GSTin) रिर्टन देना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ तीन वर्षों का (यथा– 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का झारखण्ड सरकारी क्षेत्र में Formulated and Extruded Mash (Spawn) Feed आपूर्ति का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। सरकारी सहायता प्राप्त फीड मिल को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/ अधिकृत बिक्रेता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्वअभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के साथ–साथ संलग्न सभी प्रतियॉ/ छायाप्रतियॉ स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
9. निविदा आपूर्तिकर्त्ता/ अधिकृत बिक्रेता द्वारा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तशि इस लिफाफे पर '' तकनीकी प्रसताव'' अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में मो0– 25,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगतेय होगा, दूसरे लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण पत्र (दर प्रस्ताव, डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय सहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर '' वित्तीय प्रस्ताव'' अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर ''Formulated Mash Feed" हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति लिखकर तथा मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना हे। इकाईयों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा। यदि इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/ अधिकृत बिक्रेता तकनीकी प्रस्ताव में सफल होने बाले इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/ अधिकृत बिक्रेता का ही प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए। जिस लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण पत्र पर सामग्री का नाम लिखा होना चाहिए एवं संबंधित उपक्रम/ आपूर्तिकर्त्ता की मुहर होनी चाहिए।
10. निविदा में सफल आपूर्तिकर्त्ता/ बिक्रेता को फीड की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानको के अनुरूप जिला मत्स्य कार्यालय, जामताड़ा के कार्यालय अथावा कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थल तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहूँचा कर आपूर्ति करना होगा, गुणवत्ता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जबद कर ली जायेगी।
11. यदि निविदा में सफल आपूर्तिकर्त्ता/ बिक्रेता किसी कारणवश समाग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल आपूर्तिकर्त्त / बिक्रेता की प्रतिभूति की राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही दुसरे सूचीबद्ध आपूर्तिकर्त्ता/ बिक्रेता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायलय में किसी प्रकार के बाद का दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा।
12. विभाग हित में निविदा की शर्तों में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिर्वतन करने, निविदा आमंत्रण की शर्तों में बिना कारण बताए, अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार परिवर्तन करने निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिला समिति के पास सुरक्षित होगा।
13. निविदा की सभी शर्ते विभागीय राज्यादेश के अनुसार होगा। निदेशक मत्स्य, झारखण्ड रॉंची के पत्रांक 648 दिनांक 21.05.2021 के आलोक में निविदा का प्रकाशन की जा रही है।
14. COVID-19 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार मास्क का प्रयोग एवं दो गज की दूरी बनाकर निविदा में भाग लेगें।
15. निविदा का आमंत्रण दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न 1.00 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, जामताड़ा में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन निविदा 3.00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। आपूर्तिकर्त्ता स्वंय एवं उनके द्वारा प्राधिकृति व्यक्ति इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण में भाग ले सकतें है।

18/06/2021

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा।

18/6/2021

कार्यालय– जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा

फ्राई कैचिंग नेट हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा जाल आपूर्तिकर्त्ताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021–22 में राज्य योजना के अन्तर्गत निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को फ्राई कैचिंग नेट की आपूर्ति किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ जाल आपूर्तिकत्ताओं से निम्नांकित कंडिकाओ के अधीन अल्पकालीन दर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक जाल आपूर्तिकताओं से जाल आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न 1.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किया जायेगा।

आवश्यक शर्तें

1. फ्राई कैचिंग नेट का दर जाल की लम्बाई एवं चौडाई के साथ (3 मीटर चौडाई X 1 मीटर लम्बाई) प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. फ्राई कैचिंग नेट प्रति मीटर (3 मीटर X 1 मीटर) का मूल्य 66.67 रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. फ्राई कैचिंग नेट मे उपर एवं नीचे नायलॉन का रस्सी दस फीट की दुरी पर फ्लोट लगाना अनिवार्य होगा।
4. फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति हेतु जाल का साईज एंव संख्या स्वीकृत दर के अनुरूप सफल निविदादाता को कार्यादेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
5. आमंत्रित दर के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा के पदनाम से देय मो0 25,000/– रू0 मात्र का B/D संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को पैन नंबर की अभिप्रमाणित छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
7. आपूर्ति हेतु तैयार एक मीटर लम्बाई का फ्राई कैंचिग नेट का नमूना दर आमंत्रण के साथ अलग से आपूर्तिकर्त्ता के नाम व पता का टैग लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फ्राई कैंचिग नेट का चौडाई आपूर्तिकर्त्ता को अपने स्वेच्छानुरूप प्रस्तुत करना होगा।
8. इस दर आमंत्रण को स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार निविदा समिति के अधीन होगा।
9. प्रथम सफल निविदाता द्वारा किसी कारणवश आयोग्य पाए जाने की स्थिति में दूसरे सफल निविदाता को समाग्री आपूर्ति का अधिकार आवंटित किया जा सकेगा है।
10. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में फ्राई कैचिंग नेट आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा के साथ तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा (यथा– 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21)
13. आयकर रिटर्न वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक का देना अनिवार्य होगा।
14. (GSTin) रिटर्न वर्ष 2020–21 की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा, एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर तकनिकी प्रस्ताव अंकित किया जाऐगा। इस लिफाफे में तकनिकी विवरणी के अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के रूप में राशि मो0 – 25,000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगतेय होगा एवं दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, दर प्रस्ताव, डयूटी शूल्क वैट, परिवहन व्यय संहित रखा जायेगा। इस लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में से डाल कर जिला सामग्री के लिए निविदा है। उसका नाम अंकित कर तथा लिफाफे मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। निविदा कमिटि द्वारा प्रस्तुत तकनिकी निविदा पहले खोली जायेगी। तकनिकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, इस लिए वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए तथा आपूर्तिकर्त्ता/ संबंधित उपक्रम की मुहर होनी चाहिए।
16. निविदा के साथ संलग्न सभी प्रतियाँ / छायाप्रतियाँ स्वअभिप्रमाणि होना आवश्यक है।
17. निविदा की सभी शर्तें विभागीय राज्यादेश 01 दिनांक 07.06.2021 के अनुसार होगा। निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची के पत्रांक 648 दिनांक 21.05.2021 के आलोक में निविदा का प्रकाशन की जा रही है।
18. बिना कारण बताए निविदा समिति के पास निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
19. COVID-19 में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार मास्क का प्रयोग एवं दो गज की दूरी बनाकर निविदा में भाग लेगें।
20. निविदा प्राप्ति की तिथि दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न 1.00 बजे जिला मत्स्य कार्यालय, जामताड़ा में स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन निविदा 3.00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, जामताड़ा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। आपूर्तिकर्त्ता एवं उनके द्वारा प्राधिकृति व्यक्ति इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण में भाग ले सकते है।

18/06/2021

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा।

18/6/2021